महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या: 1/2021/26/49-3-2021-258/2018टी.सी.

प्रेषक:

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2021

विषय: मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक धान खरीद हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के संबंध में यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के पक्ष में रू0 400.00 करोड़ की धनराशि शासकीय गारण्टी पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- पीसीएफ/लेखा/20-21/ई.ओ.(एफ.)कैम्प-142, दिनांक 04.01.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रकरण में गारण्टी डीड/काउण्टर गारण्टी डीड के आलेख्यों का विधीक्षण कराने एवं विधीक्षित गारण्टी डीड/काउण्टर गारण्टी डीड का आलेख्य अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या: 3780/49-3-2020-258/2018टी.सी., दिनांक 31.12.2020 द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक धान खरीद हेतु यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के पक्ष में रूपये 400.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि कतिपपय शर्तों का उल्लेख करते हुए, उक्त शर्तों के अधीन शासकीय गारण्टी राष्ट्रीयकृत बैंक से ब्याज पर ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतएव आपके उक्त पत्र दिनांक 04.01.2021 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में गारण्टी डीड/काउण्टर गारण्टी डीड के आलेख्यों का विधीक्षण कराकर विधीक्षित प्रति संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है। कृपया तद्नुसार शासन के पत्र दिनांक 31.12.2020 में अंकित शर्तों के अधीन प्रकरण में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश शासन के पत्र संख्या: 26/49-3-2021-258/2018टी.सी., दिनांक 06 जनवरी, 2021 द्वारा पूर्व में निर्गत कर दिया गया है, जिसे शासनादेश संख्या: 1/2021/26/49-3-2021-258/2018टी.सी. के रूप में पढ़ा जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

संदीप कौर
विशेष सचिव।

संख्या: 01/2021/26(1)/49-3-2021-258/2018टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

संदीप कौर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in